पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 ई0 (आश्विन 11, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–35

### विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... ... ... | – | 3075 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ... | 733–736 | 1500 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... | 425–428 | 1500 |
| भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ... ... | – | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | – | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ... ... | – | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ... ... | – | 975 |
| भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ... ... ... | – | 975 |
| भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ... ... | – | 975 |
| भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ... | 297–331 | 975 |
| स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ... | – | 1425 |

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## न्याय अनुभाग–3

### अधिसूचना

### नियुक्ति

11 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 125/XXXVI-A-3/2020–208/01–T.C.-I–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम–1984 (अधिनियम संख्या–66 सन् 1984) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, सुश्री प्रतिभा तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल को अपने इस पद पर कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

---

## न्याय अनुभाग–1

### अधिसूचना

### नियुक्ति

04 सितम्बर, 2020 ई0

संख्या 02/नो0जे0/XXXVI-A-1/2020–05 नो0जे0/2018–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री कुण्डल सिंह धपोला, अधिवक्ता को दिनांक 04–09–2020 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय बागेश्वर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री कुण्डल सिंह धपोला का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 02/No-J/XXXVI-A-1/2020-05 No.-J/2018,** dated September 04, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

*September 04, 2020*

**No. 02/No-J/XXXVI-A-1/2020-05 No.-J/2018.**–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Kundal Singh Dhapola, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 04.09.2020 for District Headquater Bageshwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Kundal Singh Dhapola be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

## अधिसूचना

## नियुक्ति

**04 सितम्बर, 2020 ई0**

**संख्या 10/नो0ई0/XXXVI-A-1/2020–02 नो0ई0/2002**–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री देवेन्द्र दत्त नौटियाल, अधिवक्ता को दिनांक 04–09–2020 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री देवेन्द्र दत्त नौटियाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 10/No-E/XXXVI-A-1/2020-02 No.-E/2002,** dated September 04, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

*September 04, 2020*

**No. 10/No-E/XXXVI-A-1/2020-02 No.-E/2002.**--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Devendra Dutt Nautiyal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 04.09.2020 for District Headquater Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Devendra Dutt Nautiyal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

## अधिसूचना

## नियुक्ति

**04 सितम्बर, 2020 ई0**

**संख्या 15/नो0एम0/XXXVI-A-1/2020–13 नो0एम0/2011** T.C.–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मुहम्मद मिराज, अधिवक्ता को दिनांक 04–09–2020 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंहनगर की तहसील गदरपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मुहम्मद मिराज का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

**प्रेम सिंह खिमाल,**

**सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।**

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 15/No-M/XXXVI-A-1/2020-13 No.-M/2011 T.C.,** dated September 04, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

*September 04, 2020*

**No. 15/No-M/XXXVI-A-1/2020-13 No.-M/2011 T.C.**--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Mohammad Miraj, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 04.09.2020 for Tehsil Gadarpur, District Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Mohammad Miraj be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

*Secretary, Law-cum-L.R.*

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/379--भाग 1--2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक--अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 अक्टूबर 2020 ई0 (आश्विन 11, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

*August 10, 2020*

**No. 201/UHC/Admin.A/2020**–Shri Amit Kumar Sirohi, Judge, Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal is transferred and posted as District & Sessions Judge, Tehri Garhwal in the vacant Court.

**Note : (a) The above transfer order will come into force with immediate effect.**

**Note : (b) Recommendation is being sent to the Government for giving additional charge of Judge, Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal to Ms. Pratibha Tiwari, Additional District & Session Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal in addition to her present duties.**

By Order of the Court,

*Sd/-*

HIRA SINGH BONAL,

*Registrar General.*

## CHARGE CERTIFICATE

*September 07, 2020*

**No. 4018/UHC/Admin.(A)/2020**--Certified that in pursuance of the Order No. DG-EK-52-2019 Dated 01.09.2020 of Inspector General of Police, Personnel, Uttarakhand, the undersigned has taken over the charge in Indian Police Service in the forenoon of 01.09.2020 in light of the Office Memorandum/Promotion No. 505/XX(1)-2020-2(1)2001 dated 01.09.2020.

AMIT SRIVASTAVA-II
I.P.S.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,
*Registrar General,*
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

---

## कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड
## काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

### विज्ञप्ति

**31 अगस्त, 2020 ई0**

**पत्रांक 1079/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/2020–21**–उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019–20 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 685/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0–2020–21 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रस्ताव/सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य की समस्त सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में राज्य की समस्त सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2020–21 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव/सूचनाऐं उपलब्ध कराई गई।

पेराई सत्र 2019–20 में राज्य में कुल 84930 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई की गई तथा अनुमानित 641.22 लाख कुन्तल गन्ने का उत्पादन हुआ। गन्ना उत्पादन के सापेक्ष राज्य की चीनी मिलों द्वारा कुल 408.96 लाख कु0 गन्ना पेराई की गई, इस प्रकार औसत ड्राल लगभग 64 प्रतिशत रहा। प्रायः यह अनुभव किया जाता रहा है कि जिस पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता है, तो आगामी पेराई सत्र में कृषकों की गन्ने की खेती के प्रति रूचि कम हो जाती है तथा गन्ने का व्यावर्तन भी होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव चीनी मिलों को आगामी पेराई सत्र में होने वाली गन्ना पेराई पर पड़ता है एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पेराई सत्र 2019–20 हेतु राज्य की चीनी मिलों द्वारा

की गई गन्ना पेराई के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दर के अनुसार कुल देय गन्ना मूल्य अंकन रू0 1316.11 करोड़ के सापेक्ष अद्यावधिक अंकन रू0 882.04 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा अंकन रू0 434.07 लाख गन्ना मूल्य की धनराशि वर्तमान में भी अवशेष है, जो कि कुल देयता का 33 प्रतिशत है। उक्त के अतिरिक्त जनपद हरिद्वार स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल इकबालपुर के विरूद्ध वर्तमान में भी पेराई सत्र 2017–18 का अंकन रू0 74.56 करोड़ तथा पेराई सत्र 2018–19 का अंकन रूपये 104.74 करोड़ गन्ना मूल्य गन्ना कृषकों का वर्तमान में भी लम्बित है। चीनी मिल इकबालपुर के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 215(PIL)2019 नितिन बनाम केन्द्र सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 11 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 03 मार्च, 2020 के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या 1367/XIV–2/2012 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 लिब्बरहेड़ी की पेराई क्षमता 6250 टी0सी0डी0, शासन के पत्र संख्या 1485/XIV–2/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 द्वारा मैसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स लि0, इकबालपुर (परिवर्तित नाम मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, इकबालपुर) की पेराई क्षमता 5500 टी0सी0डी0 तथा शासन के पत्र संख्या 1371/XIV–2/2012 दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा मैसर्स आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर की पेराई क्षमता 10000 टी0सी0डी0 मानी गई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं तद्विषयक चीनी मिलों की पंजीकृत पेराई क्षमता, विगत तीन पेराई सत्रों में की गई गन्ना पेराई, औसत गन्ना पेराई तथा चीनी मिलों के कुल कार्य दिवसों एवं औसत कार्य दिवसों का परीक्षण करने उपरान्त प्रकाश में आया कि :–

1. पेराई सत्र 2019–20 में राज्य की सहकारी (बाजपुर एवं नादेही) तथा सार्वजनिक (किच्छा एवं डोईवाला) द्वारा औसतन 145 दिवस पेराई कार्य किया गया तथा चीनी मिल बाजपुर के अतिरिक्त अन्य तीनों चीनी मिलों द्वारा 150 दिवसों (तकनीकी रूप से बाधित पेराई दिवसों को भी सम्मिलित करते हुऐ) से अधिक पेराई कार्य किया गया। उक्त के आधार पर सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की पंजीकृत पेराई क्षमता तथा पेराई सत्र 2020–21 हेतु इन चीनी मिलों का न्यूनतम 150 दिवस के पेराई सत्र को आधार मानते हेतु गन्ना आवश्यकता का निर्धारण किया जा रहा है।

2. पेराई सत्र 2019–20 में जनपद हरिद्वार स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल लकसर 207 दिवस तथा चीनी मिल लिब्बरहेड़ी द्वारा 186 दिवस पेराई कार्य किया गया, जबकि चीनी मिल इकबालपुर द्वारा मात्र 136 दिवस ही पेराई कार्य किया गया है। उक्त निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में औसतन 162 दिवस कार्य किया गया। जबकि उक्त चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2019–20 में औसतन 176 दिवस पेराई कार्य किया गया है, परन्तु इस आधार पर गन्ना आवश्यकता निर्धारण का संज्ञान लिया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि चीनी मिल इकबालपुर द्वारा मात्र 136 दिवस ही पेराई कार्य किया गया है। उक्त सम्बन्ध में यह भी पाया गया कि जनपद हरिद्वार में पेराई सत्र 2020–21 में गन्ना क्षेत्रफल में विगत पेराई सत्र के सापेक्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस प्रकार जनपद हरिद्वार में गन्ना क्षेत्रफल एवं प्रति हेक्टेयर औसत उपज में बढ़ोत्तरी को संज्ञान में रखते हुऐ प्रतीत हुआ कि उक्त निजी क्षेत्र की चीनी मिलें सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के सापेक्ष औसतन अधिक दिवसों में पेराई कार्य करेंगी। उक्त के आधार पर निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की पंजीकृत पेराई क्षमता तथा पेराई सत्र 2020–21 हेतु इन चीनी मिलों का न्यूनतम 160 दिवस के पेराई सत्र को आधार मानते हेतु गन्ना आवश्यकता का निर्धारण किया जा रहा है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत मैं ललित मोहन रयाल, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों की पेराई सत्र 2020–21 हेतु गन्ने की आवश्यकता का अनुमान निम्नानुसार निर्धारण करते हुऐ सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा देता हूं :–

## पेराई सत्र 2020–21 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता

| क्र0सं0 | नाम चीनी मिल | पंजीकृत पेराई क्षमता (टी0सी0डी0) | निर्धारित गन्ना आवश्यकता (लाख कुन्तल) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (अ) सहकारी क्षेत्र :– | | |
| 1. | दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर) | 4000 | 60.00 |
| 2. | दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नादेही (ऊधमसिंह नगर) | 2000 | 30.00 |
| | (ब) सार्वजनिक क्षेत्र :– | | |
| 3. | किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) | 4000 | 60.00 |
| 4. | डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला (देहरादून) | 2500 | 37.50 |
| | (स) निजी क्षेत्र :– | | |
| 5. | मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेड़ी (हरिद्वार) | 6250 | 100.00 |
| 6. | मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, इकबालपुर (हरिद्वार) | 5500 | 88.00 |
| 7. | मैसर्स आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर (हरिद्वार) | 10000 | 160.00 |

उपरोक्त निर्धारित गन्ना आवश्यकता से अधिक पेराई किये जाने की स्थिति में तद्नुसार संज्ञान लिया जायेगा।

ललित मोहन रयाल,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/379–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 ई0 (आश्विन 11, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

### कार्यालय नगर निगम, कोटद्वार जनपद (पौड़ी गढ़वाल)

### व्यावसायिक लाइसेंस उपविधि–2019

23 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 1383/गजट/प्रकाशन/व्या0लाई0 उपविधि–19/2019–20–नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 541(1) (42) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम कोटद्वार द्वारा बनाए गए निम्नलिखित व्यावसायिक लाइसेंस उपविधि–2019 को नगर निगम कोटद्वार के क्षेत्राधिकार में लागू करने हेतु नगर निगम कोटद्वार के अधिवेशन में बोर्ड प्रस्ताव सं0–5 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तराखण्ड यथाप्रवृत्त) की धारा 541 (1) (42) के अन्तर्गत नगर सीमान्तर्गत लिये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने से पूर्व जनसामान्य से आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करते हुए नोटिस कार्यालय बोर्ड तथा तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये साथ ही उपविधि की एक प्रति प्रत्येक मा0 पार्षदों को उपलब्ध करायी जाये। नगर निगम कोटद्वार द्वारा तैयार व्यावसायिक लाइसेंस उपविधि–2019 द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जयन्त" के अंक में पृष्ठ सं0–07 में दिनांक 27–11–2019 को प्रकाशित की गयी निर्धारित अवधि (15 दिवस) में मात्र 05 आपत्ति प्राप्त हुई है जिनका निस्तारण समय पर कार्यालय द्वारा कर दिया गया है।

अतः नगर निगम कोटद्वार के समस्त सीमान्तर्गत में लागू व्यावसायिक लाइसेंस उपविधि–2019 अन्तिम प्रकाशन की तिथि से निम्नवत् लागू होगी :–

## अध्याय– 1

## सामान्य

### परिभाषा और लागू होने की तारीख :–

1. यह उपविधि नगर निगम कोटद्वार की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेसिंग/पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष, 2019 कहलायेगी, जो यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

   (क) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 यथाप्रभावी उत्तराखण्ड से है।

   (ख) नगर निगम सीमा से तात्पर्य– नगर निगम, कोटद्वार जो, शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

   (ग) नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य, नगर निगम, कोटद्वार के नगर आयुक्त से है।

   (घ) मेयर–मेयर से तात्पर्य, नगर निगम, कोटद्वार के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है।

   (ड़) बोर्ड–बोर्ड से तात्पर्य, नगर निगम, कोटद्वार के बोर्ड से है।

   (च) लाईसेसिंग पंजीकरण अधिकारी–लाईसेसिंग/पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य, नगर निगम, कोटद्वार के नगर आयुक्त एवं जिसे दायित्व सौंपा जायें।

2. नगर निगम, कोटद्वार की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय तभी करने का पात्र होगा, जब उसने इस हेतु नगर निगम, कोटद्वार कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो।
3. इस नियम/उपनियम के अन्तर्गत लाईसेंस की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के लिये वैध होगा।
4. लाईसेंस जारी करने हेतु लाईसेसिंग अधिकारी, नगर आयुक्त होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी (यथा उपनगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/कर अधीक्षक आदि) होंगे।
5. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन अवविधियों के अधीन नगर निगम, कोटद्वार के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह से 31 अप्रैल तक लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. लाईसेंस अधिकारी को लाईसेंस निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यावसायिक दुकान/प्रतिष्ठान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो, जॉच करने पर ही लाईसेंस निर्गत करेगा।
7. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, वो स्वयं ऐसा व्यवसाय नही करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी छूत की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।
8. लाईसेसिंग अधिकारी को इन उपविधियो के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गंदगी के विरूद्ध अथवा सड़ी–गली फल, सब्जियों को रखनें व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथव मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट कने का अधिकार होगा।
9. प्रत्येक व्यापारी को चाहिए कि वह नगर निगम, कोटद्वार कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसेंस प्राप्त कर सकेंगा।
10. इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यावसायियों, दुकानदारों, व्यक्तियों को अपनी दुकान के अगल–बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समक्ष, दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गंदी वस्तुएं रखनें व प्रदर्शित करने का अधिकार नही होगा, जो कि किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक दृष्टि से हानिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत हो।

11. जो लाईसेंसधारक अपने लाईसेंस/पंजीकरण का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नही करता है, तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात लाईसेंस शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क, निर्धारित शुल्क रू0 50/– प्रतिदिन की दर से लाईसेंस हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।
12. कोई भी व्यक्ति लाईसेंसधारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेंगा तो अपना लाईसेंस निरस्त करने हेतु रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना–पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व पर प्रस्तुत करेंगा। जिसमें लाईसेंस अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाईसेंस निरस्त करेगा।
13. इस उपविधि के किसी प्रावधान के बारें में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरूपयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान जनहित में नही है। उक्त प्रावधान को परिष्कृत करके छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
14. नगर निगम सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नही करेगा जिस पर राज्य सरकार शासन द्वारा पूर्ण निर्देश किया जा चुका है।
15. इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाईसेंस दर/उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इस उपनियम के अधीन होंगे।
16. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लेखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस इन उपविधियों से भिन्न होंगे।
17. नगर निगम कोटद्वार द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों से स्वामियों का एक रजिस्ट्रर बनाया जायेगां। उसी के आधार पर वार्षिक लाईसेंस प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाईसेंस नही बनाता है, तो उससे लाईसेंसिंग धनराशि वसूली नगर निगम अधिनियम–1959 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधान भू–राजस्व की भॉति वसूली करने का अधिकार नगर निगम कोटद्वार सुरक्षित होगा।
18. नगर निगम कोटद्वार की सीमा के अन्तर्गत लगने वालें मेलें में अस्थाई व्यवसाय की दरें जो व्यवसाय सूची में नही है। उनके लाईसेंस की दरें नगर निगम कोटद्वार के कार्यकारिणी समिति नगर आयुक्त द्वारा तय की जा सकेगी।
19. कोई भी व्यक्ति नगर निगम कोटद्वार सीमा के अन्तर्गत बोझा आदि ढ़ोनें अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहे पारिश्रामिक कार्य करने से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख दस्तावेंज प्रमाण प्रस्तुत (सुरक्षा) की दृष्टि से करेंगे। उसके पश्चात ही वह उक्त कार्य कर सकेगा।
20. नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
    (क) शैय्याओं/बेडों हेतु कक्षों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
    (ख) पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।
    (ग) पानी/स्नानघर एवं शौंचालय की समुचित व्यवस्था हों।
    (घ) वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो। जिस हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।
21. बैंकट हॉल/होटल को नगर निगम के द्वार स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समय–समय पर बनायें गये नियम व एस0डब्ल्यू0एम0 नियम, 2000 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा। वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिए एवं वाहन फुटपाथ पर खड़ें नही किये जायेंगे।
22. कोई भी व्यक्ति, जो पशुओं का पालन करता हो तो जिससे वह बोझा ढ़ोनें के रूप में पारिश्रामिक प्राप्त करता हो तो प्रति पशु का नगर निगम, कोटद्वार में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढ़ोने का कार्य करा सकेगा। पशु के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण भी देगा, अन्यथा की स्थिति में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।
23. नगर निगम मेयर/नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय व्यवसाय/दुकान आदि के लाईसेंस का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
24. नगर निगम द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ लाईसेंसो में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य द्वारा लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर निगम के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किये जायेंगे।
25. ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन, सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर कोई वाहन खड़ा/सर्विस आदि नही करेंगा।
26. यदि उपर्युक्त लाईसेंस/पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है, तो नगर आयुक्त के समक्ष उसकी अपील होगी तथा नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आदेश की तिथि के 30 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील माननीय नगर प्रमुख के समक्ष की जायेगी। माननीय नगर प्रमुख को 30 दिवस के अन्दर अपील का निस्तारण कर निर्णय देना होगा।

27. कोई भी व्यवसायी सड़क/फुटपाथ पर व्यवसाय करने का पात्र नही होगा।
28. पेट्रोल/डीजल ऑयल कम्पनी वितरण स्थल पर वाहन को तेल भरानें हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
29. धुलाई/लाण्ड्री हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीकें से होनी चाहिए।
30. कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नहीं लगायेगा। जनरेटर इस रीति से लगाया जायें कि वो साउण्ड प्रूफ एवं प्रदूषण मुक्त हो।
31. पशुधन हेतु स्लाटर हाउस नियम, 2000 व समय-समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा।

दण्ड

नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गई उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग/अंश का उल्लंघन होने पर रू0 5000/- तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। जिसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति की जा सकती है , यदि समयान्तर्गत लाईसेंस प्राप्त नही किया गया है। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रतिदिन रू0 50/- की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

लाईसेंस हेतु मदवार दरें निम्नवत है:-

| क्र0सं0 | मद का विवरण | निर्धारित दरें (वार्षिक) रू0 |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | बैंकट हॉल | 10,000 |
| 2. | होटल, लॉजिग तथा गेस्ट हाउस, 10 बेड तक | 3,000 |
| 3. | होटल, लॉजिग तथा गेस्ट हाउस, 11 बेड से 15 बेड तक | 4,000 |
| 4. | बिना स्टार होटल 16 बेड से 20 बेड तक | 5,000 |
| 5. | बिना स्टार होटल 21 बेड से 30 बेड तक | 8,000 |
| 6. | बिना स्टार होटल 31 बेड से 50 बेड तक | 10,000 |
| 7. | होटल 50 बेड से ऊपर | 14,000 |
| 8. | तीन सितारा होटल | 50,000 |
| 9. | पाँच सितारा होटल | 100,000 |
| 10. | रेस्टोरेंट | 2,000 |
| | हॉस्पिटल/नर्सिंग होम | |
| 11. | हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(01-20 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) | 10,000 |
| 12. | हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(21-50 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) | 12,000 |
| 13. | हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(51-100 बेड तक) (मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) | 16,000 |
| 14. | हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/(101 बेड से ऊपर) मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल) | 20,000 |
| 15. | पैथालॉजी | 4,000 |
| 16. | अल्ट्रासाउण्ड/सी0टी0 स्केन/एक्सरें | 4,000 |
| 17. | डायग्नोस्टिक सेन्टर | 10,000 |
| 18. | मेडिकल शॉप/आर्युवेदिक शॉप | 4,000 |
| 19. | डेन्टल क्लीनिक | 5,000 |
| 20. | प्राइवेट क्लीनिक | 6,000 |
| 21. | यूनानी/आर्युवेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक | 6,000 |
| | परिवहन | |
| 22. | ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन की एजेन्सी) | 7,200 |
| 23. | ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी, वाहन सहित | 14,400 |
| 24. | स्कूटर एजेन्सी दो पहिया | 5,000 |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| 25. | मोटर वाहन एजेन्सी सैल्स अथवा सर्विस | 10,000 |
| 26. | साईकिल की दुकान, सेल्स अथवा सर्विस | 1,000 |
| 27. | रिक्शा की दुकान, सेल्स अथवा सर्विस | 1,000 |
| | पेट्रोलियम | |
| 28. | पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक (ऑयल कम्पनी) | 10,000 |
| 29. | पेट्रोल पम्प/ डीजल पम्प फुटकर | 6,000 |
| 30. | जनरेटर डीजल व्यवसायिक | 2,400 |
| 31. | दुकान, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, मोबिल ऑयल आदि | 2,400 |
| | अन्य व्यवसाय | |
| 32. | आटा चक्की | 3,000 |
| 33. | धुलाई गृह | 1,000 |
| 34. | ड्राईक्लीनर/लाण्ड्री | 1,400 |
| 35. | साबुन फैक्ट्री | 3,000 |
| 36. | आइसक्रीम फैक्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वॉटर फैक्ट्री | 3,000 |
| 37. | कबाड़ी | 4,000 |
| 38. | चूना भट्टी | 1,000 |
| 39. | 1– जूते, कपड़े, शोरूम ब्राण्डेड | 10,000 |
| | 2– जूते, कपड़े शोरूम नॉन ब्राण्डेड | 6,000 |
| | 3– शॉपिंग मॉल लाईसेंस | 30,000 |
| | 4– कपड़े, जूतें की दुकान | 1,000 |
| 40. | लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईंट, रेता, पत्थर, मारबल, टाइल्स, सैनेटरी, हार्डवेयर आदि के फुटकर विक्रेता। | 8,000 |
| 41. | बिजली का सामान विक्रेता | 2,000 |
| 42. | बेकरी उद्योग व्यवसाय | 4,000 |
| 43. | हेयर कटिंग सैलून | 1,000 |
| 44. | ब्यूटी पार्लर | 2,000 |
| 45. | कुकिंग गैस एजेन्सी | 3,000 |
| 46. | जनरल स्टोर थोक | 4,000 |
| 47. | टेलरिंग हाउस | 3,000 |
| 48. | कोयला थोक विक्रेता | 4,000 |
| 49. | फ्लोर मिल | 10,000 |
| 50. | 1– ब्राण्डेड ज्वैलर्स की दुकान | 10,000 |
| | 2– नॉन ब्राण्डेड ज्वैलर्स की दुकान | 5,000 |
| 51. | डेयरी फार्म | 4,000 |
| 52. | भूसा | 4,000 |
| 53. | आर्किटेक्ट, कन्सलटेंस, विधि चार्टेड एकाउण्टेंट, कास्ट एकाउण्टेंट | 20,000 |
| 54. | फाइनेंस कम्पनी, चिट फण्ड | 30,000 |
| 55. | फाइनेंस कम्पनी, प्रति शाखा | 30,000 |
| 56. | जनरल स्टोर (किराना विक्रेता) | 2,000 |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| 57. | बार वियर | 30,000 |
| 58. | आइस फैक्ट्री | 6,000 |
| 59. | टेण्ट हाउस | 10,000 |
| 60. | किताबों की दुकान | 4,000 |
| 61. | टी0वी0, फ्रिज, इलैक्ट्रानिक्स सामान विकेता आदि | 12,000 |
| 62. | फर्टिलाइजर शॉप | 2,000 |
| 63. | मिठाई की दुकान | 2,000 |
| 64. | सब्जी/फल की दुकान | 2,000 |
| 65. | सब्जी/फल की आढ़त | 2,000 |
| 66. | देशी शराब की दुकान | 30,000 |
| 67. | अंग्रेजी शराब की दुकान | 50,000 |
| 68. | फर्नीचर का शोरूम | 1,000 |
| 69. | फर्नीचर का दुकान | 4,000 |
| 70. | स्टोन क्रेशर | 30,000 |
| 71. | साउण्ड डी0जे0 की दुकान | 4,000 |
| 72. | एम्पलीफायर लाईसेंस | 500 |
| 73. | बैण्ड मास्टर की दुकान | 4,000 |
| 74. | फोटो स्टूडियों/वीडियों फिल्म मेकर/साइबर कॅफे/वीडियों गेम | 4,000 |
| 75. | प्रिंटिंग प्रेस | 10,000 |
| 76. | कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, फ्रेंचाइजी प्राप्त | 4,000 |
| | अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (व्यक्तिगत) | 2,000 |
| 77. | कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रर्ड, फ्रेंचाइजी प्राप्त | 10,000 |
| | कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रर्ड (व्यक्तिगत) | 6,000 |
| 78. | धर्मकॉटा | 2,000 |
| 79. | 1– रिक्शा लाईसेंस, स्वयं का रिक्शा | 800 |
| | 2– रिक्शा लाईसेंस, किराया का रिक्शा | 1,000 |
| | 3– रिक्शा चालक का लाईसेंस | 200 |
| | 4– रिक्शा चालक चिकित्सा शुल्क | 100 |
| | 5– ई–रिक्शा | 2,000 |
| | 6– एम्पीफायर लाईसेंस | 300 |
| | 7– प्रचार शुल्क | 50 |
| 80. | ताँगा, बुग्गी, हाथ ठेला लाईसेंस | 1,000 |
| 81. | उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य लाईसेंस | 200 |
| 82. | मेला एवं प्रदर्शनी हेतु अस्थाई लाईसेंस | 1000 प्रति वर्गमी0 प्रतिदिन |
| 83. | जिम/व्यायामशाला/खेल इत्यादि। | 4,000 |
| 84. | सिनेमा हॉल | 10,000 |
| 85. | प्रॉपटी डीलर | 10,000 |
| 86. | प्राइवेट स्कूल, कक्षा 5 तक (प्राइमरी) | 1,000 |
| 87. | प्राइवेट स्कूल, कक्षा 8 तक (जूनियर हाईस्कूल | 2,000 |
| 88. | प्राइवेट स्कूल, कक्षा 10 तक (हाईस्कूल) | 6,000 |
| 89. | प्राइवेट स्कूल, कक्षा 12 तक (इण्टरमीडिएट) | 10,000 |

# कार्यालय नगर निगम, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

## ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019

**23 दिसम्बर, 2019 ई0**

पत्रांक 1384/गजट/प्रकाशन/ठोस प्र0/2019–20–नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 541(1) (42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 के द्वारा शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी "**ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016**" के नियम 15 (ड़), 15 (च) एवं 15 (एच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर निगम कोटद्वार द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर निगम के अधिवेशन में बोर्ड प्रस्ताव सं0– 9 दिनांक 15.06.2019 के द्वारा विशेष संकल्प कर निर्णय लिया गया है **कि नगर निगम द्वारा तैयार की गई अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019 पर आपत्ति करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र दैनिक जयन्त के पृष्ठ सं0–04 दिनांक 30 नवम्बर, 2019 में प्रकाशन किया गया। निर्धारित अवधि (15 दिवस) में जनसामान्य से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।**

**अतः नगर निगम कोटद्वार के समस्त सीमान्तर्गत में लागू ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019 के अन्तिम प्रकाशन की तिथि से निम्नवत् लागू होगी :–**

### अध्याय– 1

### सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :–**

(1) ये उप–नियम नगर निगम कोटद्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि– 2019 कहलाएंगे।
(2) ये उप–नियम नगर निगम कोटद्वार के सरकारी गजट उत्तराखण्ड मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगे।
(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2009 , गजट नोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर निगम कोटद्वार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप–नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप–नियम नगर निगम, कोटद्वार की सीमाओं की भीतर लागू होगे।

3. **परिभाषाए :–**

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपनियमों मे निम्नाकित परिभाषाएं लागू है:–

(क) " **कचरा उधान और बागवान कचरा** " का अर्थ है कि उधानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमे घास, कतरन, खरपतवार, कार्बन युक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ो की छटाई से उत्पन्न कचरा पेड़ो की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की

कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर निगम का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर निगम द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर निगम द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर निगम या नगर निगम द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) " **संग्रहण**" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर निगम के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालिंयो को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगर निगम द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

## अध्याय –2

### ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

**4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण**

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगा:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर निगम के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगा:–

हरा:– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला:– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

काला:– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर निगम के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर निगम की भागीदारी के साथ,सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा

बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर निगम के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर निगम द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोंजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर निगम द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर निगम के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर निगम या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया

जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडंखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

## अध्याय–3

### ठोस कचरा संग्रह

**5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः–**

(i) नगर निगम के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा।

इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर निगम संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में

दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागतं में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर निगम द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर निगम द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर निगम द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर निगम अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड़ भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया ज़ा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे।

इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर निगम या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

## अध्याय–4

### ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:–

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीला: गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर निगम समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर निगम स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर निगम या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर निगम या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर निगम अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे

को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर निगम से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर निगम अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

# अध्याय–5

## ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर निगम कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लांन के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx) नगर निगम अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

# अध्याय–6

## ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(i) नगर निगम ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योप्रेकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति।

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन्न प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर निगम रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–

(i) नगर निगम सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर निगम कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

## अध्याय–7

### ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर निगम अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

# अध्याय–8

## इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम अथवा मेयर/नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर निगम इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर निगम ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

**12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड :–**

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक,कर निरिक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति

वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

## अध्याय–9

### प्रतिभागियों के दायित्व

**13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–**

**(i) कूडा फेकने पर पाबंदी**

(क) **किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना** : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) **किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना** : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) **वाहनों से कूडा फेकना** : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) **मालवाहक वाहन से गंदगी डालना** : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ङ) **स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी** : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) **नालियों आदि में कचरे का निपटान** : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) **कचरे को जलाना** : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(iii) **"स्वच्छ क्षेत्र"** : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर निगम से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर निगम द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर निगम की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर निगम के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर निगम किसी परिषर कें मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :–

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्स सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की सभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

## 14. नगर निगम के दायित्व :

(i) नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम अपने सफाई स्टाफ़ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(ii) नगर निगम अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर निगम विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर निगम अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर निगम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर निगम कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेंबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर निगम स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर निगम कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) **नियमित जांच** : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर निगम अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) **पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच** : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

## अध्याय–10

### विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर निगम अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

## अनुसूची–1

### ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| क्र सं | अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार | प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में) |
| 1. | गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक) | कच्ची झोपडी रु 10.00, पक्का मकान रु 20.00 |
| 2. | कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर) | रु 40.00 |
| 3. | मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर) | रु 60.00 |
| 4. | उपरोक्त के अतिरिक्त घर | रु 100.00 |
| 5. | सब्जि एवं फल विक्रेता | ठेली पर फेरी में रु 6.00 प्रतिदिन,दुकान एवं फड पर रु 100.00 प्रतिदिन |
| 6. | मांस एवं मछली विक्रेता | न्यूनतम 200.00 रु 10 कि0ग्रा0 तक,उससे अधिक पर रु 01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त |
| 7. | रेस्टोरेन्ट | छोटे रु 300.00, मध्यम रु 800.00 तथा बडे रु 2000.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | होटल / लॉजिग / गेस्ट हाऊस | 20 बेड तक रु 300.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु800.00 |
| 9. | धर्मशाला | रु 1.50 प्रति कमरा प्रतिमाह |
| 10. | बरातघर(चेरिटेबिल)<br>बरातघर(नॉन–चेरिटेबिल) | रु 200.00 प्रति उत्सव<br>रु 1000.00 प्रति उत्सव |
| 11. | बेकरी | रु 150.00 |
| 12. | कार्यालय | 50 कर्मचारियो तक रु 200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 400.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु1000.00 |
| 13. | स्कूल / शिक्षण संस्थाएं(आवासीय) | 100 बेड तक के लिए रु 2000.00,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त |
| 14. | स्कूल / शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय) | 500 विधार्थियो तक रु1000.00,उससे अधिक रु1500.00 |
| 15. | हॉस्पिटल / नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर) | 20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 2000.00,उससे अधिक रु 2500.00 |
| 16. | क्लीनिक / पैथोलोजी | क्लीनिक रु100.00, पैथोलोजी रु 500.00 |
| 17. | दुकान / चाय की दंकान | मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 75.00, शोरुम रु 200.00, छोटे मॉल रु 1000.00,बहुमंजिला मॉल रु 2000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क |
| 18. | फैक्ट्री | छोटी रु 600.00, मध्यम रु 1000.00, बडी रु 1000.00 |
| 19. | वर्कशॉप | छोटी रु 400.00,बडी रु 1000.00 |
| 20. | कबाडी | छोटी रु 200.00,बडी रु 500.00 |
| 21. | जूस / गन्ने का रस विक्रेता | रु 10.00 प्रतिदिन |
| 22. | सार्वजानिक / निजी स्थलो पर सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो | रु 600.00 होटलों में, विवाह रु 2000.00 प्रति उत्साह |
| 23. | ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट | 0.50घन मी0 तक रु 200.00, 1.0घन मी0 तक रु 400.00, 3.0घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0घन मी0 तक रु 2000.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 अधिक |
| 24. | सिनेमा हॉल | रु 600.00 प्रतिमाह |
| 25. | उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्थान की स्थिति के अनुसार) | रु 200.00 से रु 2000.00 तक |

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

## अनुसूची–2

### जुर्माना/दंड

| क्र सं | नियम/उप नियम संख्या | अपराध | निम्नांकित पर लागू | प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क) | कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना | आवासीय<br>बल्क जन्रेटर | 200<br>500 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल | 10,000 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान | 5000 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान | 500 |
| | | | फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना | 500 |
| | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) | सडक/गली में कूडा फैकना,थूकना 1. | उल्घनकर्ता | 200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना | | होगी।<br>500 |
| 2. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ) | नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना। | आवासीय | 200 |
| | | | गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर | 500 |
| 3. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग) | नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना। | आवासीय | 1000 |
| | | | गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर | 5000 |
| 4. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट), | ठोस कचरे को खुले में जलाना | उल्लंघनकर्ता | 5000 |
| 5. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4) | निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना | ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो | 10,000 |
| 6. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5) | नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर | उल्लंघनकर्ता | 200 |
| 7. | एसडब्ल्यूएम | सार्वजनिक स्थलो, | अपराधी | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | नियमों का नियम 4(2), 15(छ) | सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता | | |
| निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा | | | | |
| 8. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए | 10,000 |
| | | | बजार एसोसिएशन,संघ | 20,000 |
| 9. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | द्वारबंद समुदाय | 10,000 |
| | | | संस्थान | 20,000 |
| 10. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | होटल | 50,000 |
| | | | रेस्टोरेंट | 20,000 |
| 11. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2) | उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन | विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी | 1,00,000 |
| 12. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3) | नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता | विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां | 50,000 |
| 13 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ) | नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने एवं भवन निर्माण के समय मजदूर हेतु शौचालयों की व्यवस्था करने में विफलता | उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि | 50,000 |
| 14 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग) | गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, | उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक | 1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर | | |
| 15 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ) | नगर निगम की उपं विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता | उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी | 1000 |
| 16 | | सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिज्रिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता) | आयोजनकर्ता | 5000 |

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, कोटद्वार।

योगेश सिंह मेहरा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम कोटद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/379–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।